



गन्ना उद्योग विभाग  
बिहार सरकार



मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत

# बीज विकास योजना

वित्तीय वर्ष 2026-27

मार्गदर्शिका



## अनुक्रमणिका

| क्र०सं० | विषय-वस्तु                      | पृष्ठ संख्या |
|---------|---------------------------------|--------------|
| 1.      | पृष्ठभूमि                       | 1            |
| 2.      | योजना का उद्देश्य               | 1            |
| 3.      | योजना के अधीन पात्रता           | 1            |
| 4.      | पोर्टल पर स्टॉक संधारण          | 2-3          |
| 5.      | ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया       | 3-5          |
| 6.      | आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया | 6-11         |
| 7.      | अनुदान/प्रोत्साहन दर            | 11           |
| 8.      | अवयवार अनुदेश                   | 11-13        |
| 9.      | समय-सारणी                       | 13           |
| 10.     | पदेन कर्तव्य एवं दायित्व        | 13-15        |
| 11.     | योजना का स्वीकृत्यादेश          | 16-22        |

  
38/112



**बिहार सरकार**  
**गन्ना उद्योग विभाग**

**वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत  
" बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश।**

**1. पृष्ठभूमि –**

सात निश्चय-3 के अंतर्गत निश्चय-2 "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में उन्नत प्रभेद के गुणवत्तायुक्त गन्ना बीज की उपलब्धता आवश्यक है। इससे राज्य के गन्ना किसानों को उत्तम किस्म के स्वरुध एवं रोगमुक्त गन्ना बीज मुहैया हो सकेगा तथा गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। अतएव उपरोक्त उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। संबंधित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बिहार वित्त संशोधित नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन करेंगे।

**2. योजना का उद्देश्य-**

- 2.1 किसानों के बीच उन्नत, रोगमुक्त एवं चिन्हित गन्ना प्रभेदों के बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा गन्ने के उत्पादन, उत्पादकता एवं चीनी रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि लाना,
- 2.2 त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम (प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज) के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना,
- 2.3 प्रमाणित/सत्यापित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देकर बीज विस्थापन दर में वृद्धि लाना,
- 2.4 सिंगल बड विधि से गन्ना रोपाई को प्रोत्साहित कर कम लागत में अधिक क्षेत्रफल में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना,

**3. योजना के अधीन पात्रता-**

- 3.1 योजना के तहत अवयवार पात्र संस्थान/कृषक का विवरण निम्नवत् है-

| क्र०सं० | अवयव                                                             | पात्र संस्थान/कृषक                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | न्यूक्लियस/<br>प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन                          | ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर)/<br>भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ |
| 2       | आधार गन्ना बीज उत्पादन                                           | राज्य में कार्यरत चीनी मिल, किसान<br>एवं कृषि विज्ञान केन्द्र                 |
| 3       | प्रमाणित गन्ना बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन                       | राज्य में कार्यरत चीनी मिल एवं गन्ना बीज<br>उत्पादक कृषक                      |
| 4       | प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज एवं सिंगल<br>बड (प्लान्टलेट्स) वितरण | व्यक्तिगत किसान                                                               |

- 3.2 योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत किसानों को देय होगा।
- 3.3 इस योजना का लाभ प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ से अधिकतम 05 (पाँच) एकड़ (02 हेक्टेयर) तक के लिए देय होगा। जबकि अनुसंधान संस्थान, चीनी मिल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
- 3.4 एक किसान किसी एक अवयव (प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज या सिंगल बड प्लान्टेस) का ही लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। जबकि आधार बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अवयव अंतर्गत यह बंधेज नहीं होगा।
- 3.5 विभाग द्वारा योजनांतर्गत प्रोत्साहन/अनुदान के लाभ हेतु कुल 16 गन्ने प्रभेद यथा—CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209, Bo-153, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466 एवं CoLK-16470 अनुशंसित की गई है। यह सूची यथासंशोधित होने पर स्वतः प्रभावी होगा।
- 3.6 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

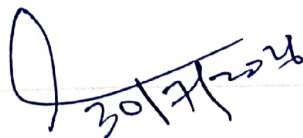
#### 4. पोर्टल पर स्टॉक संधारण —

##### 4.1 प्रजनक गन्ना बीज—

- ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के द्वारा प्रजनक गन्ना बीज का स्टॉक संधारण उन्हें उपलब्ध लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।
- संस्थान के द्वारा बुआई का रकवा, प्रभेद, बुआई की तिथि, फार्म का पता, अनुमानित उपज को अंकित किया जायेगा।

##### 4.2 आधार गन्ना बीज—

- चीनी मिल द्वारा उत्पादित आधार गन्ना बीज का स्टॉक संधारण संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा उन्हें उपलब्ध लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।
- किसान/कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा उत्पादित आधार गन्ना बीज का स्टॉक संधारण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अपने लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर किया जायेगा।





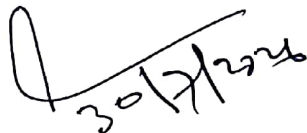
- (iii) बीज उत्पादक का विवरण, बुआई का रकवा, प्रभेद, फार्म/खेत का पता, अनुमानित उपज एवं LIR (Last Inspection Report) number (बसोका द्वारा निर्गत) को अंकित किया जायेगा।
- (iv) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।

#### 4.3 प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज -

- (i) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज का स्टॉक संधारण चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।
- (ii) बीज उत्पादक का विवरण, बुआई का रकवा, प्रभेद, फार्म/खेत का पता, अनुमानित उपज अंकित किया जायेगा।
- (iii) प्रमाणित गन्ना बीज हेतु LIR (Last Inspection Report) number (बसोका द्वारा निर्गत) को अंकित किया जायेगा।
- (iv) स्वस्थ एवं रोगमुक्त गन्ना को बीज के रूप में व्यवहार करने हेतु बीज योग्य गन्ना खेत का चयन संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, चीनी मिल के महाप्रबंधक एवं सहायक निदेशक, ईख विकास के संयुक्त टीम के द्वारा किया जायेगा।
- (v) सत्यापित बीज के संधारण हेतु संयुक्त टीम के जांच प्रतिवेदन का निर्गत संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (vi) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।

#### 4.4 सिंगल बड प्लान्टलेट्स -

- (i) सिंगल बड प्लान्टलेट्स का स्टॉक संधारण चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जायेगा।
- (ii) प्लान्टलेट्स उत्पादक का विवरण, प्लान्टलेट्स की संख्या, प्रभेद, नर्सरी का पता अंकित किया जायेगा।
- (iii) अंकित किये गये विवरण को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अंतिम रूप से सम्पुष्ट किया जायेगा।



### 3. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया -

- 5.1 इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय केन केयर पोर्टल <https://ccs.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
- 5.2 आवेदन करने हेतु केन केयर पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- 5.3 केन केयर पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध बीज विकास योजना टैब पर क्लिक करने पर प्रदर्शित अवयवों में से आवेदन वाले अवयव का चयन किया जायेगा।
- 5.4 किसानों के द्वारा गन्ना आई. डी. का उपयोग कर आवेदन किया जायेगा।
- 5.5 13 अंको का डी.बी.टी. आई.डी. के सहायता से केन केयर पोर्टल पर गन्ना पंजीकरण कर गन्ना आई. डी. प्राप्त किया जा सकता है।
- 5.6 अवयववार आवेदन की विधि -

#### **5.6.1 आधार बीज उत्पादन-**

- (i) सर्वप्रथम आधार बीज उत्पादन टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।
- (ii) आवेदक द्वारा ड्रॉप डाउन मेनू में श्रेणी चयन हेतु प्रदर्शित विकल्पों- चीनी मिल/किसान/कृषि विज्ञान केन्द्र में से संबंधित विकल्प का चयन किया जायेगा।
- (iii) चीनी मिल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन करने पर अगली ड्रॉपडाउन मेनू में प्रदर्शित सूची में से संबंधित चीनी मिल अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र का चयन किया जायेगा।
- (iv) किसान का विकल्प चुनने पर गन्ना आई. डी. को अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (v) इसके बाद भूमि का विवरण जैसे फार्म का प्रकार (स्वयं/लीज), क्षेत्रफल, फार्म/खेत का पता तथा गन्ने का प्रभेद दर्ज किया जायेगा।
- (vi) रैयत के लिए भूमि का दस्तावेज के रूप में जमाबंदी/लगान रसीद/भूमि-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)/वंशावली (इनमें से कोई एक) आवेदक के पास होना आवश्यक होगा। गैर रैयत के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्व-घोषणा पत्र भरकर अपलोड किया जायेगा।
- (vii) प्रजनक बीज की आपूर्ति हेतु उपलब्धता के आधार पर बीज का मात्रा एवं बीज स्रोत प्रदर्शित होगा, जिसमें से अपने आवश्यकतानुसार प्रभेद, मात्रा एवं स्रोत दर्ज किया जायेगा।
- (viii) आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारी की प्रविष्टि एवं वांछित अभिलेख को अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को SMS के माध्यम से उनके मोबाईल संख्या पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।



### 5.6.2 प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज वितरण—

- (i) सर्वप्रथम प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज वितरण टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।
- (ii) आवेदन प्रपत्र में गन्ना आई. डी. को अंकित कर SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर निबंधित मोबाईल पर प्राप्त OTP दर्ज किया जायेगा, के उपरांत आवेदक को सामान्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।
- (iii) इसके बाद खेती का स्थान, भूमि का विवरण, प्रभेद का चयन (आवेदक द्वारा केवल एक प्रभेद का चयन किया जायेगा) एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को आवेदन संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा एवं निबंधित मोबाईल पर SMS भी प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल के सुपरवाइजर एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

### 5.6.3 सिंगल बड प्लान्टलेट्स—

- (i) सर्वप्रथम सिंगल बड प्लान्टलेट्स टैब पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा।
- (ii) आवेदन प्रपत्र में गन्ना आई. डी. को अंकित कर SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर निबंधित मोबाईल पर प्राप्त OTP दर्ज किया जायेगा, के उपरांत आवेदक को सामान्य विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।
- (iii) इसके बाद खेती का स्थान, भूमि का विवरण, प्रभेद का चयन एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक किया जायेगा। SUBMIT बटन पर क्लिक करते ही आवेदक को आवेदन संदर्भ संख्या प्रदर्शित होगा एवं निबंधित मोबाईल पर SMS भी प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात् आवेदन स्वतः चीनी मिल क्षेत्र में संबंधित चीनी मिल के सुपरवाइजर एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

## 6. आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया—

### 6.1 आधार गन्ना बीज उत्पादन —

- (i) आवेदक द्वारा आवेदन सबमिट करने के उपरांत आवेदन सहायक निदेशक, ईख विकास के लॉगिन में स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।



- (ii) सहायक निदेशक (ईख विकास) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
- (iii) दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत, पात्र पाए जाने पर आवेदन को स्वीकृत तथा पात्र नहीं पाये जाने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जायेगा।
- (iv) प्रजनक बीज के आवंटन हेतु स्वीकृत आवेदन स्वतः ईखायुक्त, बिहार (एडमिन लॉगिन) को अग्रसारित हो जायेगा।
- (v) सहायक निदेशक, ईख विकास के अनुशंसा के आलोक में ईखायुक्त, बिहार द्वारा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रभेदवार उपलब्धता के आधार पर प्रजनक बीज का आवंटन किया जाएगा।
- (vi) बीज आवंटन के उपरांत चालान निर्गत सहित अन्य प्रक्रिया के निष्पादन हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को वापस कर दिया जायेगा।
- (vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में आवंटित प्रजनक बीज उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा। चालान निर्गत होते ही इसकी सूचना आवेदक एवं संबंधित अनुसंधान संस्थान को अपने लॉगिन में प्रदर्शित हो जायेगा।
- (viii) निर्गत चालान में QR Code, बीज उठाव की Validity, संस्थान का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।
- (ix) आवेदक द्वारा निर्गत चालान होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बीज का उठाव एवं बुआई कर लिया जायेगा।
- (x) बीज उठाव हेतु संबंधित उत्पादक के समक्ष आवेदक द्वारा चालान प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें अंकित QR Code को उत्पादक द्वारा स्कैन किया जायेगा।
- (xi) चालान जिस उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में बीज की आपूर्ति की जाएगी।
- (xii) आवेदक द्वारा बीज के बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy के तहत संस्थान द्वारा उपलब्ध अभिश्रव को अपलोड किया जायेगा।
- (xiii) इसके उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत) के द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण





कर आवेदन का अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।

- (xiv) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से ससमय कर दिया जायेगा एवं UTR अंकित किया जायेगा।

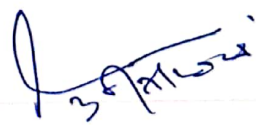
## **6.2 प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम –**

- (i) प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रमाणित बीज का उत्पादन किये हो) को प्रोत्साहन राशि देय होगा।
- (ii) प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा।
- (iii) प्रोत्साहन राशि का भुगतान बीज उत्पादक को केन केयर पोर्टल पर उपलब्ध अंतिम रूप से चयनित लाभकों को वितरण किये गये बीज की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।
- (iv) सत्यापित गन्ना बीज पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगा, यह प्रावधान केवल प्रमाणित गन्ना बीज के लिए होगा।
- (v) प्रोत्साहन राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

## **6.3 प्रमाणित/सत्यापित बीज अनुदान –**

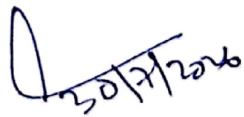
### **6.3.1 चीनी मिल क्षेत्र –**

- (i) किसान द्वारा आवेदन सबमिट करने के तत्पश्चात् चीनी मिल क्षेत्र में आवेदन स्वतः संबंधित चीनी मिल के सुपरवाइजर के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।
- (ii) सुपरवाइजर के द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित आवेदनों की सभी जानकारी की जांच की जायेगी।
- (iii) इस क्रम में आवेदक की सहमति से अगर अंकित की गई जानकारी में कोई सुधार/बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उसे सुपरवाइजर द्वारा अपने लॉगिन से किया जा सकता है।
- (iv) सुपरवाइजर द्वारा जांचोपरांत आवेदन में अभ्युक्ति अंकित करते हुए संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।
- (v) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के जांच के आधार पर आवेदन सही होने की स्थिति में उपलब्धता के अनुसार बीज का आवंटन कर आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे।





- (vi) महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के जांच के आधार पर आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।
- (vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (viii) आवेदन की स्वीकृति की स्थिति में बीज उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा।
- (ix) निर्गत चालान में QR Code, बीज उठाव की Validity, बीज उत्पादक का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।
- (x) विशेष परिस्थिति में उठाव नहीं होने की स्थिति में Validity को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।
- (xi) चालान जिस उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में बीज की आपूर्ति की जाएगी।
- (xii) आवेदक द्वारा निर्गत चालान होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बीज का उठाव एवं बुआई कर लिया जायेगा।
- (xiii) आवेदक द्वारा उठाव किये गये बीज की बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा।
- (xiv) इसके उपरांत सत्यापन हेतु संबंधित सुपरवाइजर द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण कर आवेदन को अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।
- (xv) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के द्वारा जांचोपरान्त किये गये अनुशंसा के आधार पर अनुदान भुगतान हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।
- (xvi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान को स्वीकृत करते हुए लाभुक की सूची डाउनलोड किया जायेगा।
- (xvii) तदोपरान्त आवेदक को उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुदान भुगतान ससमय कर दिया जायेगा।



- (iii) आवेदक को अनुदान भुगतान करने के उपरांत पोर्टल पर UTR नम्बर अंकित किया जायेगा ताकि आवेदक अपने लॉगिन से उन्हें प्राप्त अनुदान को सम्पुष्ट कर सके।

### 6.3.2 गैर चीनी मिल क्षेत्र -

- (i) गैर चीनी मिल क्षेत्र की स्थिति में सुपरवाइजर के दायित्व का निष्पादन संबंधित कार्यालय के कर्मी यथा-जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत) तथा महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यालय कर्मी के द्वारा आवेदन सीधे संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।
- (ii) इसके उपरांत संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कार्यालय कर्मी के द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में आवेदन स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान हेतु समस्त कार्रवाई का निष्पादन कडिका-6.2.1 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

## 6.4 सिंगल बड प्लान्टलेट्स -

### 6.4.1 चीनी मिल क्षेत्र -

- (i) किसान द्वारा आवेदन सबमिट करने के तत्पश्चात् चीनी मिल क्षेत्र में आवेदन स्वतः संबंधित चीनी मिल के सुपरवाइजर के लॉगिन में सत्यापन हेतु अग्रसारित हो जायेगा।
- (ii) सुपरवाइजर के द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित आवेदनों की सभी जानकारी की जांच की जायेगी।
- (iii) इस क्रम में आवेदक की सहमति से अगर अंकित की गई जानकारी में कोई सुधार/बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उसे सुपरवाइजर द्वारा अपने लॉगिन से किया जा सकता है।
- (iv) सुपरवाइजर द्वारा जांचोपरांत आवेदन में अभ्युक्ति अंकित करते हुए संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।
- (v) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के जांच के आधार पर आवेदन सही होने की स्थिति में उपलब्धता के अनुसार प्लान्टलेट्स का आवंटन कर आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगे।
- (vi) महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के जांच के आधार पर आवेदन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।



- (vii) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- (viii) आवेदन की स्वीकृति की स्थिति में सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) उठाव हेतु चालान निर्गत किया जायेगा।
- (ix) निर्गत चालान में QR Code, सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) उठाव की Validity, नर्सरी का नाम एवं उठाव का स्थल अंकित होगा।
- (x) विशेष परिस्थिति में उठाव नहीं होने की स्थिति में Validity को संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।
- (xi) चालान जिस नर्सरी उत्पादक के लिए निर्गत किया जाएगा, उसी नर्सरी उत्पादक को समस्त विवरण प्रदर्शित होगा, के आलोक में सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) की आपूर्ति की जाएगी।
- (xii) आवेदक द्वारा निर्गत चालान की तिथि से संबंधित स्थल से प्लान्टलेट्स का उठाव एवं बुआई अधिकतम 07 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiii) आवेदक द्वारा उठाव किये गये प्लान्टलेट्स की बुआई के उपरांत अनुदान भुगतान हेतु पोर्टल के माध्यम से Claim for Subsidy के तहत नर्सरी द्वारा उपलब्ध अभिश्रव को अपलोड किया जायेगा।
- (xiv) इसके उपरांत सत्यापन हेतु संबंधित सुपरवाइजर द्वारा गन्ना सॉफ्ट मोबाईल एप के माध्यम से निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थल निरीक्षण कर आवेदन को अनुदान भुगतान की अनुशंसा के साथ संबंधित महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।
- (xv) संबंधित चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा सुपरवाइजर के द्वारा जांचोपरान्त किये गये अनुशंसा के आधार पर अनुदान भुगतान हेतु आवेदन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।
- (xvi) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा महाप्रबंधक के अनुशंसा के आधार पर अपने स्तर पर सभी प्रविष्टियों के अवलोकन से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान को स्वीकृत करते हुए लाभुक की सूची डाउनलोड किया जायेगा।
- (xvii) तदोपरान्त आवेदक को उनके बैंक खाता में CFMS के माध्यम से अनुदान भुगतान ससमय कर दिया जायेगा।
- (xviii) आवेदक को अनुदान भुगतान करने के उपरांत पोर्टल पर UTR नम्बर अंकित किया जायेगा ताकि आवेदक अपने लॉगिन से उन्हें प्राप्त अनुदान को सम्पुष्ट कर सके।



#### 6.4.2 गैर चीनी मिल क्षेत्र -

- (i) गैर चीनी मिल क्षेत्र की स्थिति में सुपरवाइजर के दायित्व का निष्पादन संबंधित कार्यालय के कर्मी यथा-जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस./ईख प्रसार पदाधिकारी (संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्राधिकृत) तथा महाप्रबंधक के स्थान पर कार्यालय कर्मी के द्वारा आवेदन सीधे संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित किया जायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से कार्यालय कर्मी के द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में आवेदन स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान हेतु समस्त कार्रवाई का निष्पादन कंडिका-6.4.1 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

#### 7. अनुदान/प्रोत्साहन दर -

| क्र०सं० | अवयव                                              | अनुदान/प्रोत्साहन राशि                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन | 2.50 लाख रु० प्रति हेक्टेयर                                                                    |
| 2       | आधार बीज उत्पादन                                  | 70,000/- रु० प्रति हेक्टेयर                                                                    |
| 3       | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन                   | 70/- रु० प्रति क्वींटल                                                                         |
| 4       | प्रमाणित/सत्यापित बीज क्रय अनुदान                 | सामान्य- 260/- रु० प्रति क्वींटल<br>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति- 310/- रु० प्रति क्वींटल |
| 5       | सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से खेती पर अनुदान  | 15,000/- रु० प्रति एकड़                                                                        |

#### 8. अवयवार अनुदेश -

##### 8.1 न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम -

- (i) न्यूक्लियस गन्ना बीज एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा।
- (ii) प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित ईख अनुसंधान संस्थान द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre-Receipt Bill) एवं गत वर्ष का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा।
- (iii) संस्थान द्वारा समर्पित पूर्व प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत राशि के अधीन अनुमान्य राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

*Handwritten signature*

- (iv) संबंधित संस्थान के द्वारा प्रजनक गन्ना का अनुश्रवण प्रतिवेदन (Monitoring Report), व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) न्यूविलियस एवं प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

### 8.2 आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम -

- (i) राज्य में गुणवत्तापूर्ण नवीन प्रभेदों के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
- (ii) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र-मोतीपुर एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देय होगा।
- (iii) राज्य में आधार बीज का उत्पादन चीनी मिलों/कृषि विज्ञान केन्द्र (kvk)/प्रगतिशील कृषकों के द्वारा किया जायेगा।
- (iv) चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन कर सकेंगे।
- (v) चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा।
- (vi) आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा।
- (vi) प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीज पौधशाला के खेत/फार्म गेट पर डिस्प्ले बोर्ड में निम्न सूचना अंकित किया जायेगा- 1. प्रक्षेत्र का नाम 2. उप प्रक्षेत्र का नाम 3. गन्ना रकवा का विवरण 4. लगायी गयी बीज का प्रकार (प्रजनक/आधार/प्रमाणित) 5. बीज का स्रोत 6. प्रभेद का नाम 7. बुवाई की तिथि एवं प्लॉट का रकवा चौहद्दी के साथ 8. संभावित कटनी की तिथि।

### 8.3 प्रमाणित/सत्यापित बीज अनुदान -

- (i) इस योजनांतर्गत प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज के क्रय पर सामान्य वर्ग के किसानों को 260/- रु0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 310/- रु0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय होगा।





#### 8.4 सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से खेती पर अनुदान -

- (i) इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा- बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है।
- (ii) इस योजनांतर्गत सिंगल बड (प्लान्टलेट्स) पद्धति से गन्ना रोपाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित दर से अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

#### 9. आवेदन प्राप्ति से अनुदान भुगतान तक की गतिविधि हेतु समय-सारिणी -

| क्र० सं० | गतिविधि                         | वर्षाकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय-सीमा | शरदकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय-सीमा | वसंतकालीन सीजन हेतु अधिकतम समय-सीमा |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | आवेदन प्राप्ति                  | विभाग द्वारा निर्धारित               | विभाग द्वारा निर्धारित             | विभाग द्वारा निर्धारित              |
| 2        | सत्यापन/बीज आवंटन/चालान निर्गमन | 30 अगस्त, 2026                       | 05 नवम्बर, 2026                    | 10 फरवरी, 2027                      |
| 3        | बीज उठाव एवं बुआई               | 15 सितम्बर, 2026                     | 20 नवम्बर, 2026                    | 25 फरवरी, 2027                      |
| 4        | बुआई उपरांत भौतिक सत्यापन       | 15 अक्टूबर, 2026                     | 20 दिसम्बर, 2026                   | 10 मार्च, 2027                      |
| 5        | अनुदान स्वीकृति एवं भुगतान      | 10 नवम्बर, 2026                      | 10 जनवरी, 2027                     | 20 मार्च, 2027                      |

नोट- स्थानीय परिस्थिति के अनुसार समय सारिणी में आवश्यक परिवर्तन ईखायुक्त, बिहार के द्वारा किया जा सकेगा।

#### 10. पदेन कर्तव्य एवं दायित्व-

##### 10.1 ईख प्रसार पदाधिकारी/जनसेवक/कामदार/एम.टी.एस.

- (i) स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार कर इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना।
- (ii) योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि में सत्यापन कर अनुशंसा के साथ सहायक निदेशक, ईख विकास को अग्रसारित करना।
- (iii) योजनांतर्गत गन्ना बीज उत्पादन एवं गन्ना फसल की स्थिति हेतु लाभुकों के खेत का निरीक्षण करना।

##### 10.2 महाप्रबंधक, चीनी मिल

- (i) स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार कर इच्छुक कृषकों से ऑनलाईन आवेदन करवाना।
- (ii) योजनांतर्गत सभी अवयवों में प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।

30/11/2024

- (iv) योजना के कार्यान्वयन में संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं इस हेतु विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठक में भाग लेना।

### 10.3 सहायक निदेशक, ईख विकास

- (i) योजना का अनुदेश के अनुरूप ससमय कार्यान्वयन कराना।
- (ii) योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप ससमय आवेदन प्राप्ति, लाभुक का चयन एवं अनुदान का भुगतान संबंधी कार्य का निष्पादन।
- (iii) अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को आवेदन के निस्तारण हेतु लक्ष्य आवंटित करना एवं उनके कार्यों तथा लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।
- (iv) संबंधित चीनी मिल, अनुसंधान संस्थान, बीज उत्पादक से समन्वय करना एवं योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या का ससमय निराकरण करना/कराना।
- (v) योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार कराना।
- (vi) योजनांतर्गत सभी अवयवों में प्राप्त आवेदनों के ससमय सत्यापन हेतु संबंधित को निदेशित करना।
- (vii) आवेदन की स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान संबंधी कार्य का ससमय निष्पादन करना।
- (viii) प्रजनक बीज फार्म का स्थलीय जांच समय-समय पर किया जायेगा एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- (ix) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज क्रय अनुदान एवं सिंगल बड (सेटलिंग) अवयव अंतर्गत न्यूनतम 10 प्रतिशत मामलों की जांच करना।
- (x) त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज के बीज उत्पादकों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

### 10.4 उप निदेशक, ईख विकास

- (i) योजना के प्रगति का पाक्षिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को उपलब्ध कराना।
- (ii) योजना के तहत विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को आवश्यक दिशा-निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- (iii) प्रजनक बीज फार्म का स्थलीय जांच समय-समय पर किया जायेगा एवं फसल के स्थिति सहित जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। इस जांच में उप निदेशक, ईख

*20/7/24*



विकास कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक, कीटविद् एवं व्याधिविद् तथा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक को भी शामिल किया जायेगा।

- (iv) प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज क्रय अनुदान एवं सिंगल बड (सेटलिंग) अवयव अंतर्गत न्यूनतम 03 प्रतिशत मामलों की जांच करना।
- (v) त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज के बीज उत्पादकों में से न्यूनतम 03 प्रतिशत मामलों की जांच करना।

#### 10.5 संयुक्त निदेशक, ईख विकास एवं प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य)

- (i) मुख्यालय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु संयुक्त निदेशक, ईख विकास नोडल पदाधिकारी तथा इस योजना के प्रभारी सहायक निदेशक (शष्य) उप नोडल पदाधिकारी होंगे।
- (ii) योजना का समय-समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- (iii) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- (iv) केन केयर पोर्टल पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण करना एवं आने वाले समस्याओं का एन.आई.सी. से समन्वय कर ससमय निराकरण कराना।
- (v) योजना के ऑनलाईन दैनिक/साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन को ईखायुक्त, बिहार एवं सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना।
- (vi) योजना का समय-समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

#### 10.6 जिला पदाधिकारी

- (i) टास्क फोर्स की बैठक में योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- (ii) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन करना।

#### 10.7 ईखायुक्त

- (i) मुख्यालय स्तर पर योजना के प्रगति की समीक्षा करना एवं योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (ii) योजना के कार्यान्वयन हेतु विहित प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान के संबंध में यथासमय निदेश दिया जायेगा।

  
ईखायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-236/2026 239 स्वीकृत / 11

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,  
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु कुल 3793.05 लाख रु0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रुपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 3793.05 लाख रु0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रुपये) मात्र रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। सात निश्चय-3 के अंतर्गत निश्चय-2 "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना/पुनरुद्धार के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए उन्नत प्रभेदों को व्यापक पैमाने पर अपनाने हेतु बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गन्ना बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन्ही आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट-3 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा। योजना कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संयुक्त निदेशक, ईख विकास की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।



(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय-समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेंगे। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय-समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम सं० | बजट शीर्ष                                                                                                                                                                       | विषय शीर्ष    | उपबंधित राशि (लाख रु०) | निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रु०) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.       | मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109                            | 33 01 सब्सिडी | 12818.50               | 3136.85                                         |
| 2.       | मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45- उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007890108 | 33 01 सब्सिडी | 2480.00                | 606.888                                         |
| 3.       | मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष- 0129 -ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007960129               | 33 01 सब्सिडी | 201.50                 | 49.312                                          |
|          | योग-                                                                                                                                                                            |               | 15500.00               | 3793.05                                         |

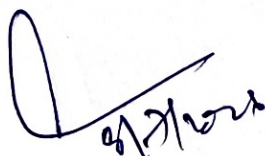
(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561(वि.)2 दि०-17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2 (क) के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-01.07.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका-23 पर प्राप्त है, जो संचिका के पृ०-19/टि० पर रक्षित है।





(14) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-01/विकास-यो०-236/2026 के पृष्ठ सं०-22/टि. पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०-01/विकास-यो०-236/2026 के पृष्ठ सं०-24/टि. पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।  
08 जुलाई, 2026

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026  
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतीहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

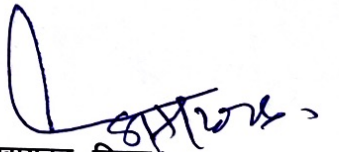


परिशिष्ट-1

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना "

वित्तीय वर्ष 2026-27 का स्वीकृत कार्य योजना

| क्र०सं० | कार्य अवयव                                                                                  | अनुदान दर/अधिकतम सीमा<br>(दोनों में से जो कम हो) |                           | ईकाई  | भौतिक<br>लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य<br>(लाख ₹० में) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
|         |                                                                                             | सामान्य                                          | अनु० जाति/<br>अनु०जन जाति |       |                 |                                |
| 1       | 2                                                                                           | 3                                                | 4                         | 5     | 6               | 7                              |
| 1       | गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन -                                                           |                                                  |                           |       |                 |                                |
| 1.1     | न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि | 2.50 लाख प्रति हे०                               |                           | हे०   | 105             | 262.50                         |
| 1.2     | आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि                                                       | 70,000 ₹० प्रति हे०                              |                           | हे०   | 800             | 560.00                         |
| 1.3     | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम                                                   | 70 ₹० प्रति क्वी०टल                              |                           | क्वी० | 700000          | 490.00                         |
|         | योग (1) -                                                                                   |                                                  |                           |       |                 | 1312.50                        |
| 2       | गन्ना बीज (सेट/सेटलिंग) वितरण पर अनुदान -                                                   |                                                  |                           |       |                 |                                |
| 2.1     | प्रमाणित/सत्यापित बीज (सेट)                                                                 | 260<br>₹०/क्वी०टल                                | 310<br>₹०/क्वी०टल         | क्वी० | 700000          | 1880.55                        |
| 2.2     | सिंगल बड (सेटलिंग)                                                                          | अधिकतम 15,000 ₹० प्रति<br>एकड़                   |                           | एकड़  | 4000            | 600.00                         |
|         | योग (2) -                                                                                   |                                                  |                           |       |                 | 2480.55                        |
|         | <b>Total (1+2) -</b>                                                                        |                                                  |                           |       |                 | <b>3793.05</b>                 |

  
ईखायुक्त, बिहार



02/12/20



—योग—

ईश्यायुक्त, कच्छ



परिशिष्ट-3

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

| क्र०<br>सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम     | संबद्ध बीजो मिल का नाम                   | स्वीकृत राशि (लाख ₹ में) |           |              |            | कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                |                                          | सामान्य                  | अनु० जाति | अनु० जन जाति | योग        |                                                 |
| 1           | 2                                              | 3                                        | 4                        | 5         | 6            | 7          | 8                                               |
| 1           | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा                   | बगहा/हरिनगर/लोहिया                       | 854.28500                | 144.33600 | 14.95400     | 1013.57500 | कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण                     |
| 2           | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया                 | मंडौलिया/नरकटियागंज                      | 351.31000                | 63.43600  | 3.15400      | 417.90000  | कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण                     |
| 3           | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी               | एच० पी० सी० एल० बायोप्यूल्स लि०, मुंगौली | 95.46000                 | 11.26000  | 0.83000      | 107.55000  | कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण                |
| 4           | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज               | विश्ववर्धिया/किणु सुगर मिल लि०, गोपालगंज | 546.70000                | 103.00000 | 8.80000      | 658.50000  | कोषागार, गोपालगंज                               |
| 5           | सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतानदी                | सीता सुगर मिल, सीता                      | 169.19000                | 24.56000  | 2.35000      | 196.10000  | कोषागार, सीतानदी                                |
| 6           | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर              | हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर       | 560.65000                | 108.20000 | 8.65000      | 677.50000  | कोषागार, समस्तीपुर                              |
| 7           | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर             | -                                        | 26.05000                 | 3.88000   | 0.19000      | 30.12000   | कोषागार, मुजफ्फरपुर                             |
| 8           | सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान                  | बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर     | 116.68000                | 19.65000  | 1.52000      | 137.85000  | कोषागार, सिवान                                  |
| 9           | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर                | -                                        | 27.70000                 | 4.45000   | 0.00000      | 32.15000   | कोषागार, भागलपुर                                |
| 10          | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा                 | -                                        | 76.34000                 | 12.58000  | 1.28000      | 90.20000   | कोषागार, दरभंगा                                 |
| 11          | सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा                  | -                                        | 26.84000                 | 5.21000   | 0.00000      | 32.05000   | कोषागार, सहरसा                                  |
| 12          | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया               | -                                        | 17.90000                 | 3.25000   | 0.00000      | 21.15000   | कोषागार, पूर्णिया                               |
| 13          | सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई                   | -                                        | 22.19000                 | 4.34100   | 0.04900      | 26.58000   | कोषागार, जमुई                                   |
| 14          | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोजपुर (आरा)           | -                                        | 21.39500                 | 3.84500   | 0.03500      | 25.27500   | कोषागार, आरा (मोजपुर)                           |
| 15          | सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी                  | -                                        | 21.56000                 | 3.69000   | 0.00000      | 25.25000   | कोषागार, गयाजी                                  |
| 16          | सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना                   | -                                        | 32.60000                 | 6.20000   | 0.00000      | 38.80000   | कोषागार, पटना                                   |
| 17          | उप निदेशक, ईख विकास, पटना                      | -                                        | 0.00000                  | 0.00000   | 0.00000      | 0.00000    | कोषागार, पटना                                   |
| 18          | उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी                  | -                                        | 0.00000                  | 0.00000   | 0.00000      | 0.00000    | कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण                |
| 19          | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा                      | -                                        | 0.00000                  | 0.00000   | 0.00000      | 0.00000    | कोषागार, समस्तीपुर                              |
| 20          | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग |                                          | 170.00000                | 85.00000  | 7.50000      | 262.50000  | सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना                |
|             | योग-                                           | -                                        | 3136.85000               | 606.88800 | 49.31200     | 3793.05000 |                                                 |

ईखायुक्त, बिहार